



संदर्भ सं. राबैं.डोर / जी482 / पीपीएस - 178/ 2024-25

31 जुलाई 2024

परिपत्र सं. 146 / डोर - 25 / 2024

प्रबंध निदेशक,
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय

LTRCF बुलेट पुनर्भुगतान राज्य सहकारी बैंकों के लिए - आस्ति कवरेज की निगरानी, ग्राउंड लेवल बकाया और पात्र गतिविधियाँ

कृपया हमारे 30.01.2024 के परिपत्र संख्या 11 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें राज्य सहकारी बैंकों के लिए LTRCF के तहत पुनर्वित्त के लिए बुलेट पुनर्भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों से प्राप्त अनुरोधों और ग्रामीण/कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी निर्माण के लिए RFIs की पहुंच को ध्यान में रखते हुए, NABARD ने StCBs के लिए LTRCF के तहत बुलेट पुनर्भुगतान को लागू कर दिया है। LTRCF के तहत बनाई गई संपत्तियों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार आस्ति कवरेज प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2. LTRCF के तहत दीर्घकालिक आस्ति कवरेज प्रमाणपत्र (LTACC):

बुलेट पुनर्भुगतान के बकाया की ग्राउंड लेवल पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि LTRCF के तहत बैंकों द्वारा लाभार्थियों को वितरित किए गए ऋणों का बकाया NABARD के LTRCF के तहत पुनर्वित्त बकाया से कम न हो। दीर्घकालिक संपत्तियों के बकाया राशि के साथ मेल सुनिश्चित करने के लिए, LTRCF के तहत एक दीर्घकालिक आस्ति कवरेज प्रमाणपत्र (LTACC), जिसे आपके बैंक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, तिमाही आधार पर संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। राज्य सहकारी बैंक (StCBs) एक विशेष तिमाही के लिए LTACC को तिमाही के अगले महीने की 10 तारीख तक NABARD के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करें।

3. आस्ति कवरेज बनाए रखने के अलावा, बैंकों को LTRCF के तहत रियायती (concessional) फंड्स का उपयोग कृषि के तहत पात्र उद्देश्यों के लिए संपत्तियों के निर्माण में करना होगा। NABARD अपनी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आपके शाखाओं का दौरा करके नमूना आधार पर सालाना परीक्षण जांच करेगा।

4. LTRCF के तहत हमारे दिशानिर्देशों में सभी अन्य शर्तें और स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय

(**डॉ.के.एस.महेश**)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

अनुबंध ।

LTRCF के तहत टीओबी रियायती परिसंपत्ति समावेशन / कवरेज प्रमाणपत्र (एलटीओसीसी) राज्य सहकारी बैंक के लिए

दिनांक : जून 2024

30.06.2024 की स्थिति

बैंक का नाम :

प्रयोजन	पिछले दिनांक के अंत में लिए गए रियायती उधार का बकाया	जिसमें से एलटीओसीएफ बकाया है (बैंकों से लेकर पुनर्वित्त संपत्तियों के उपयोगकर्ताओं तक)	दिनांक के दौरान संक्षिप्त ऋणों की तुलना	जिसमें से एलटीओसीएफ	दिनांक के दौरान की गई वसूलीयों / चुकोती प्रवृत्ति	जिसमें से एलटीओसीएफ	दिनांक के अंत में कुल एलटी ऋण बकाया	उनमें से अतिरिक्त यदि कोई	दिनांक के अंत में कुल एलटीओसीएफ ऋण बकाया	उनमें से अतिरिक्त यदि कोई	नाबाई से लिए गए उधार पर एलटीओसीसी	कुल एलटी ऋण बकाया	नाबाई से बैंक तक बकाया एलटीओसीएफ ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(2+4)-6)		(3+5)-7)		(10-11)	(8-9)	
टीओबी-कृषि संबद्ध और सहायक गतिविधियाँ	200	50	40	20	10	5	230	5	65	2	63	225	
कुल													

यह प्रमाणित किया जाता है कि बैंक से उपभोक्ताओं को बकाया रूप में करोड़ , नाबाई से बैंक को एलटीओसीएफ बकाया रूप में करोड़ से अधिक है और नाबाई से एलटीओसीएफ के लिए धन गतिविधियों के लिए एलटीओसीएफ के तहत ऋण दिया जाता है

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर